प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अट्ठाईस'

[9/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 4846]

अतारांकित प्रश्न कमांक 4846 के प्रश्नांश "ख" की जानकारी

प्रश्नकर्ता – माननीय श्रीमति रेखा यादव

परिशिष्ट– एक

दिनांक 02.02.2013 से प्रश्न दिनांक तक विपणन सहकारी समितियों में नियुक्त किये गये प्रशासको की जानकारी

क्र.	संस्था का नाम	प्रशासक का नाम एवं पद	नियुक्ति आदेश दि.
1.	स्वामीं विवेकानन्द्र विप.सह.स.मर्या. छतरपुर	1. आर.सी. अग्रवाल व.स.नि.	20.10.2014
2.	आदर्श विप.सह.समिति मर्या. बिजावर	1. राजीव सक्सेना सह.निरी.	04.03.2014
		2. श्री आनंद मोहन खरे शा.प्रब. जि.सह.के.बैंक शाखा बिजावर	10.02.2015
		3. श्री एम.के. रावत सह.निरी.	28.02.2017
3.	शिवाजी विप.सह.समिति मर्या: बारीगढ	1. एन.एस. अग्रवाल सह.निरी.	20.10.2014
4.	बृजेन्द्र विप.सह.समिति मर्या. बडामलहरा	1. आर.के. शर्मा वरि.सह.निरी.	01.05.2013
		2. आर.सी. अग्रवाल व.स.नि.	25.07.2016
		3. यू.डी. पांचाल सह.निरी.	01.02.2016
5.	विपणन सह.समिति मर्या. लवकुशनगर	1. आर.एल. चौरसिया सह.निरी.	17.09.2013
		2. के.एल. विश्वकर्मा सह.निरी.	27.09.2014
6.	छत्रसाल विप.सह.समिति मर्या. राजनगर	1. पी.एस. खुराना सह.निरी.	14.05.2013
		2. श्री अजय असाटी शाखा प्रबंधक जिला सह.के.बैंक शाखा राजनगर	16.03.2015
		3. श्री बी.के. रूसिया सह.निरी.	28.02.2017

डिप्टी रजिस्ट्रार
सहकारी संस्थाये छतरपुर

T/C

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.

सत्र - फरवरी - मार्च 2017.
म०प्र० विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र० 4846.
प्रश्नांश 'ग' का परिशिष्ट - प्रपत्र दो'

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०१५.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम २०१५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (क-एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क-दो) "प्रशासक" से अभिप्रेत है तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारबार के संचालन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है और जो रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अधीन तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा;";

T/C

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ, म.प्र.